राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 54

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 3 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जयशंकर बोले, कश्मीर पर बातचीत सिर्फ पाकिस्तान से

>> 11

अयोध्या पर सुलह नहीं, सुनवाई से होगा फैसला

बड़ा कदम ▶ सुप्रीम कोर्ट छह अगस्त से रोजाना करेगा सुनवाई, मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद दिए आदेश

जन्मभूमि पर मालिकाना हक के केस की नौ साल से शुरू नहीं हो पा रही सुनवाई

माला दीक्षित, नई दिल्ली

नौ साल से अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक के मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रहे रामलला के केस का नंबर आ गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट छह अगस्त से मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है। शुक्रवार को संविधान पीठ ने मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद उपरोक्त आदेश दिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। जिसमें एक हिस्सा भगवान रामलला विराजमान, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को देने का आदेश था। इस फैसले को भगवान रामलला सहित हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में ये अपीलें 2010 से लंबित हैं और कोर्ट के आदेश से फिलहाल अयोध्या में यथास्थिति कायम है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को मध्यस्थता पैनल से कहा था कि वह 31 जुलाई तक हुई मध्यस्थता की प्रगति रिपोर्ट दे। पैनल ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी। शुक्रवार को पीठ ने कहा कि कोर्ट को मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एफएमआइ कलीफुल्ला की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उन्होंने रिपोर्ट देखी है। मध्यस्थता प्रक्रिया में विवाद का हल नहीं निकला इसलिए कोर्ट अब मुकदमे की लंबित अपीलों पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले पर छह अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक बहस पूरी न हो जाए।

पहले सुनी जाएगी रामलला की अपील : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सुनवाई की शुरुआत मूल वाद संख्या तीन और पांच से होगी। मूल वाद संख्या तीन निर्मोही अखाड़ा का मुकदमा है और मूल वाद संख्या पांच भगवान रामलला विराजमान का मुकदमा है। कोर्ट ने मामले में बहस करने वाले वकीलों और पक्षकारों से आग्रह किया है कि जिन साक्ष्यों और दलीलों यानी केस लॉ आदि को वे अदालत में पेश करने वाले हैं उसके बारे में पहले से बता दें ताकि कोर्ट स्टाफ उसे पेश करने के लिए तैयार रखे।

आप सुनवाई को तैयार रहें, अदालत को न बताएं कि क्या करना चाहिए : राजीव धवन ने कहा कि अपीलों पर सुनवाई शुरू करने से पहले लंबित विभिन्न अर्जियों और रिट याचिकाओं का निपटारा होना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने शुरुआत में कहा था कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। धवन ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की रिट याचिका का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा था कि यह याचिका मुख्य मामले के साथ नहीं सुनी जाएगी, लेकिन उसे अभी लंबित रखा हुआ है। मालूम हो कि स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर रामलला की पूजा-अर्चना के मौलिक अधिकार की मांग की है। धवन ने ऐसी ही कुछ और याचिकाओं एवं अर्जियों पर पहले सुनवाई की मांग की। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह इन सब मुद्दों पर बाद में विचार करेंगे, पहले सुनवाई शुरू होगी। लेकिन जब धवन ने बार-बार लंबित अन्य मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट से उन पर पहले विचार करने की मांग जारी रखी तो प्रधान न्यायाधीश ने कुछ नाराजगी जताते हुए धवन से कहा कि कोर्ट स्वयं तय कर लेगा कि उसे इस पर क्या करना है। आप केस के लिए तैयार रहिए और कोर्ट को यह मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए।

पहली अपील में सुनवाई में कटौती नहीं होनी चाहिए : राजीव धवन ने अदालत से कहा कि वह इस मामले में 20 दिन बहस करेंगे। यह पहली अपील पर सुनवाई हो रही है इसलिए अदालत को सुनवाई में कटौती नहीं करनी चाहिए।

फैसले की घड़ी (विशेष) पेज>>5

पहले हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने का विरोध

मुस्लिम पक्ष जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष असद रसीदी की ओर से पेश वकील राजीव धवन ने पहले मूल वाद तीन और पांच की अपीलों को सुनने का विरोध करते हुए कहा कि पहले मूलवाद संख्या चार की अपील पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मूल वाद संख्या चार (सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील) को ही ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुख्य मुकदमा माना था। उन्होंने कहा कि इस अपील में हिंदू पक्ष भी प्रतिवादी है। धवन की दलील पर पीठ ने कहा कि इससे क्या अंतर पड़ेगा। आप भी उनकी अपीलों में पक्षकार हैं इसलिए आप तभी अपना पक्ष रख दीजिएगा।

नवंबर तक फैसले की उम्मीद

नई दिल्ली : अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट से नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने कहा है कि पांच जजों की संविधान पीठ छह अगस्त से मामले में रोजाना सुनवाई करेगी। बहस पूरी होने तक सुनवाई जारी रहेगी। पीठ के अध्यक्ष सीजेआइ रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं ऐसे में उम्मीद है कि फैसला इससे पहले आ जाएगा। (पेज-5)

कांग्रेस को झटका, जलियांवाला बाग बिल लोकसभा में पास

नई दिल्ली : जलियांवाला बाग स्मारक संशोधन विधेयक लोकसभा में शुक्रवार को पारित हो गया। नए संशोधित कानून के तहत अब कांग्रेस अध्यक्ष जलियांवाला बाग स्मारक समिति के सदस्य नहीं होंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बीते सोमवार को इस आशय का बिल पेश किया था। जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 में संशोधन के लिए लाये गये बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए पटेल ने कहा कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और घटना के सौ साल पूरे होने पर हम स्मारक को राजनीति से मुक्त करना चाहते हैं। (पेज-3)

मंत्री ने पद से हटने पर आवास नहीं छोड़ा तो दस हजार रोजाना जुर्माना

जयपुर : राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को मंत्रियों के पद से हटने के बाद नियत अवधि में सरकारी निवास खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें दस हजार रुपये रोजाना की दर से जुर्माना चुकाना होगा। इस संबंध में बिल शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। भाजपा विधायकों ने विधेयक को बेहद कड़ा बताते हुए इसका विरोध किया। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने का मामला भी उठा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इसे लेकर प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश की। (पेज-4)

सरोकार

तज आई 'वनवास', कर रहीं कौशल विकास

आगरा : नार्थ सिक्किम के हीग्यथांग की रहने वाली पिंटसो डोमा लेपचा आगरा के एक प्रतिष्ठित निजी नर्सिंग कॉलेज में लेक्चरर हैं। पढ़ाने के साथ-साथ वह मास्टर डिग्री लेने की भी तैयारी कर रही हैं। वनवासी क्षेत्र की बौद्ध धर्मावलंबी पिंटसो के इस ख्वाब में रंग भरने का काम कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम। (पेज-13)

जागरण विशेष

धार्मिक एकता की मिसाल हैं दरगाह और मंदिर

कैथल : हरियाणा में कैथल जिले के पोलड़ गांव के लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसकी वजह है मां सरस्वती का मंदिर और शहनशाह नौ गजा पीर की मजार। दोनों एक दूसरे के पूरक बन धार्मिक एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। इस गांव को रामायणकालीन गांव माना जाता है। इसे हिंदू मुस्लिम आस्था का संगम भी कहा जाता है। (पेज-13)

बड़े आतंकी हमले की आशंका, अमरनाथ यात्रियों को जल्द लौटने की सलाह

सतर्कता ▶ यात्रा मार्ग से मिले बड़ी संख्या में हथियार, बारूदी सुरंग और स्नाइपर राइफल

अगले कुछ दिनों में कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हो सकता है बड़ा ऑपरेशन

नीलू रंजन, नई दिल्ली

सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा पर बड़े पैमाने पर आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश किया है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार ने तीर्थयात्रियों समेत सभी पर्यटकों को जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी है। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने श्रीनगर में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि किस तरह अमरनाथ यात्रा मार्ग से बड़ी मात्रा में हथियार, आइईडी और स्नाइपर राइफल बरामद की गई हैं। इसमें पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी बारूदी सुरंग (एंटी पर्सन माइन) भी शामिल है जो हमले की साजिश में सीधे पाकिस्तानी सेना के शामिल होने का सुबूत है। वहीं, सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि वे पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार, पाकिस्तान पोषित आतंकियों की ओर से अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाकर हमला करने की ठोस खुफिया जानकारी मिल रही थी। इसके बाद अमरनाथ यात्रा के बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्तों के आसपास के इलाकों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, आइईडी, बारूदी सुरंग के साथ-साथ अमेरिका में बनी स्नाइपर राइफल भी बरामद की गई। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को तत्काल लौटने की एडवाइजरी जारी करने से साफ हो गया है आतंकी हमले का खतरा फिलहाल टला नहीं है। वैसे नॉर्दन कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने सुरक्षा बलों की ओर से भरोसा दिया, 'कश्मीर में शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। यह कश्मीर और देश के हर नागरिक से हमारा वादा है।' वहीं, दिल्ली में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर नजर रख रहे उच्च पदस्थ अधिकारियों ने आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान का संकेत दिया।

डोभाल के कश्मीर दौरे के बाद शुरू हुई हलचल : लोकसभा चुनाव के बाद कश्मीर के हालात लगातार सामान्य होते नजर आ रहे थे। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं भी रुकी हुई थीं और अमरनाथ यात्रा भी शांतिपूर्ण तरीके चल रही थी। इसी बीच, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल के घाटी दौरे और उसके तत्काल बाद अर्धसैनिक बलों की 100 अतिरिक्त कंपनियां भेजने के फैसले से घाटी में कुछ बड़ा होने की अटकलें तेज हो गई थीं। सरकार की सक्रियता से साफ हो गया है कि वह किसी भी स्थिति में आतंकी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी।

घाटी में आतंकियों के सफाए से बौखलाया पाकिस्तान : कश्मीर में आतंकियों के सफाए में सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के बाद पाकिस्तान की बेसब्री बढ़ गई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों की घुसपैठ कराने और हमले की कोशिश जारी है। कश्मीर पुलिस के आइजी एसपी पाणी के अनुसार पिछले कुछ महीनों में 10 आइईडी हमलों की साजिश नाकाम की गई हैं। इस दौरान आइईडी बनाकर विस्फोट करने वाले पांच मॉड्यूल का पर्दाफाश कर उससे जुड़े कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना लाहौरी और फयाज पंजू जैसे आइईडी एक्सपर्ट आतंकियों को मार गिराने में सफलता भी मिली है। वैसे डीजीपी दिलबाग सिंह ने घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या नहीं बताई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि पिछले कुछ महीनों में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद के बड़े आतंकियों को मार गिराया गया। अंसार गजवातुल हिंद और अल बदर का लगभग सफाया कर दिया गया है। वहीं, हिजबुल मुजाहिदीन को काफी हद तक खत्म करने में सफलता मिली है।

गुलाम कश्मीर में आतंकियों से भरे हैं सभी लांच पैड पेज>>7

श्री अमरनाथ श्रद्धालुओं को लौटने की एडवाइजरी जारी होने के बावजूद जम्मू में यात्रा के आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर में आते श्रद्धालु। जागरण

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के इलाज पर परिवार करेगा फैसला, चाचा को तिहाड़ भेजने का आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ परिवार जब चाहेगा तब एम्स में इलाज की व्यवस्था हो जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ स्थित केजीएमसी मेडिकल कॉलेज से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में स्थानांतरित करने का निर्णय शुक्रवार को पीड़िता के परिवार पर छोड़ दिया। शीर्ष अदालत ने पीड़िता और वकील के परिजनों को इस बात की छूट दी है कि वे जब उचित समझें एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह फैसला न्यायमित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि के बयान का संज्ञान लेने के बाद किया। वी. गिरि ने अदालत को बताया कि पीड़िता अभी बेहोश है और वेंटीलेटर पर है। उसके परिजनों की राय है कि फिलहाल लखनऊ के अस्पताल में ही उसका इलाज होने दिया जाए। इस पर पीठ ने साफ कहा कि पीड़िता के परिजन उसे लखनऊ से दिल्ली स्थित एम्स में स्थानांतरित करने के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही पीठ को सड़क दुर्घटना में जख्मी वकील के बारे में भी जानकारी दी गई। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के वकील को अब वेंटीलेटर से हटा लिया गया है, लेकिन उसकी स्थिति अभी भी नाजुक है। वकील के पिता उसे दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में अनिर्णय की स्थिति में हैं। इस मामले में अदालत सोमवार को विचार करेगी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 25 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि पीड़िता के परिवार को दी जा चुकी है।

सड़क दुर्घटना का मामला अभी नहीं आएगा

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के वाहन से ट्रक की टक्कर के मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी अपने आदेश में शुक्रवार को संशोधन कर दिया। इस दुर्घटना में दुष्कर्म पीड़िता और उसका वकील बुरी तरह जख्मी है जबकि पीड़िता के दो परिजनों की इसमें मृत्यु हो गई है। पीठ ने सीबीआइ की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस कथन का संज्ञान लिया कि रविवार को हुई इस दुर्घटना की जांच जारी है इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, जिसे अदालत ने मान लिया। ज्ञात हो, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म सहित इससे संबंधित पांचों मामले दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा सीबीआइ को रायबरेली के निकट ट्रक-कार टक्कर की की जांच एक हफ्ते में पूरा करने को कहा था।

सड़क हादसे की जांच के लिए सीबीआइ ने बनाई 20 सदस्यीय टीम पेज>>6

अंदर पढ़े

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कुलभूषण जाधव से मुलाकात में पाकिस्तान की बंदिश मंजूर नहीं

नई दिल्ली : भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की भारतीय राजनयिक से मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी प्रस्ताव को भारत ने फिलहाल खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि जाधव से राजनयिक की मुलाकात बिना बाधा के अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के मुताबिक भय से मुक्त माहौल में होनी चाहिए। ध्यान रहे पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि जाधव से भारतीय राजनयिक से भेंट के दौरान उसका भी एक अधिकारी मौजूद रहेगा। (पेज-3)

कैरिबियाई चुनौती

टी-20 सीरीज
वेस्टइंडीज vs भारत

रात 8:00 बजे से

स्थान : लॉडेरहिल, अमेरिका

प्रसारण : सोनी नेटवर्क

अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में फिसला भारत

नई दिल्ली, जेएनएन : विश्व बैंक की तरफ से जीडीपी के आधार पर जारी 2018 की रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसल गया है। अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में छठे स्थान पर विराजमान भारत अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। 2017 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर कब्जा जमाया था। 20.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक मुद्रा में उतार-चढ़ाव और वृद्धि दर में सुस्ती की वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई है। 2017 में डॉलर के मुकाबले रुपया तीन फीसद मजबूत हुआ था, लेकिन 2018 में पांच फीसद कमजोर हुआ। 2018-19 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8 फीसद रही, जो पांच साल में सबसे कम है। सर्वे के मुताबिक, बीते पांच साल में विकास दर औसत 7.5 फीसद रही। 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल आठ फीसद वृद्धि दर की जरूरत है।

- विश्व बैंक ने 2018 की रैंकिंग जारी की, भारत 7वें पायदान पर पहुंचा
- अमेरिका शीर्ष पर, चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर

रैंकिंग में शीर्ष 7 देश

रैंकिंग	देश	जीडीपी 2018 (ट्रिलियन डॉलर में)
1	अमेरिका	20.5
2	चीन	13.6
3	जापान	5.0
4	जर्मनी	4.0
5	ब्रिटेन	2.8
6	फ्रांस	2.8
7	भारत	2.7

बदलती तस्वीर

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ हुए और मजबूत, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

हाफिज सईद और दाऊद भी अब घोषित हो सकेंगे आतंकी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ और मजबूत हो गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) अब देश के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर सकेगी। इनमें वे भी शामिल होंगे जो विदेशों में बैठकर देश में आतंकी गतिविधियों को संचालित करते हैं। इनमें हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी शामिल होंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों की संपत्तियां भी अब जब्त की जा सकेंगी।

राज्यसभा ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक (यूएपीए) को मंजूरी दे दी। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून का रूप ले लेगा। विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। ऐसे में सभी दलों को एक स्वर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए। ताकि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ देश के एकजुट होने का संदेश जाए। इस बीच, विपक्ष विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि मतदान में प्रस्ताव गिर गया। विरोध के बाद भी कांग्रेस और बसपा ने विधेयक का समर्थन किया।

गृह मंत्री ने इस दौरान विपक्ष की ओर से समझौता एक्सप्रेस के आरोपितों के बरी होने पर सवाल उठाने वालों को कोर्ट का फैसला पढ़ने की नसीहत दी। एनआइए की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दे पाने से वे सभी बरी हुए। साथ ही यह भी साफ किया कि इस मामले का आरोपपत्र मौजूदा सरकार के कार्यकाल में दाखिल नहीं किया गया था, बल्कि यह 09 अगस्त, 2012 को पेश किया गया था। हमने तो सिर्फ बहस की थी। इसी तरह मक्का मस्जिद मामले में भी हुआ। आरोपपत्र संप्रग सरकार के समय में ही पेश किया गया था। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि पिछली सरकार में किस तरह से आतंकवाद को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया था, जबकि उसके असली आरोपित कोई और थे। शाह ने इस दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने एनआइए को दी जा रही शक्तियों की जरूरत पर सवाल खड़ा किया था। शाह ने कहा कि 31 जुलाई, 2019 की स्थिति में एनआइए के मामलों में सजा की दर 91 फीसद है जो दुनिया भर की सभी एजेंसियों में सबसे बेहतर है। एनआइए ने कुल 278 मामले दर्ज किए। 204 में आरोपपत्र दाखिल किया है। 54 मामलों का फैसला आया है, इनमें 48 में सजा हुई है। दूसरे मामलों में भी एनआइए का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। इससे पहले विधेयक पर बोलते हुए चिदंबरम ने कहा कि वह आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इस संशोधन के खिलाफ है। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

चिदंबरम को किया लाजवाब पेज>>3

राज्यसभा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूएपीए पर विपक्ष की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह इंसानियत के खिलाफ है (टीवी ग्रैब)। एएनआइ